UPBJ010029872015

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट नं01)बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (डा0 श्रीमती मनु कालिया), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02176

सत्रवाद संख्या 562/2015

उ0प्र0राज्य बनाम सद्दाम व अन्य

दिनांक : 02-06-2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण रामफूल व दीपक उपस्थित मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण सद्दाम व अशोक कुमार की हाजिरी केवल आज के लिए द्वारा अधिवक्ता माफ की गयी। अभियुक्त भीम गैर हाजिर है।

अभियुक्त भीम के विरूद्ध जारी प्रोसेस कागज सं0 ख–151/1 पर तामीलकर्ता एस0आई0 ब्रहमपाल सिंह थाना शेरकोट द्वारा आख्या दी गयी है कि भीम पुत्र टेक चन्द निवासी नूरपुर छिपरी थाना शेरकोट की दिनॉक 15–10–2018 को रोड एक्शीडैंट में मृत्यु हो गयी जिसका थाना हाजा पर मु0अप0सं0 228/18 धारा 279,304 आई0पी0सी0 पंजीकृत है, जिसके सम्बन्ध में मु0अप0सं0 228/18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न की गयी है। उक्त आख्या को न्यायालय में उपस्थित होकर सी0डब्लू–1 एस0आई0 ब्रहमपाल सिंह ने अपने सशपथ बयान में साबित किया है तथा यह कहा है कि दिनॉक 09–01–2019 को मैं थाना शेरकोट पर तैनात था, उस दिन मेरे द्वारा उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त भीम सिंह पुत्र टेकचन्द निवासी ग्राम नूरपुर छिपरी थाना शेरकोट के वारण्ट की तामील हेतु मुझ एस0आई0 को प्राप्त हुआ था जिसकी तामील करने मैं उसी दिन गया तथा उपरोक्त भीम सिंह के बारे में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त भीम सिंह की मृत्यु दिनॉक 15–10–18 को रोड दुर्घटना में हो चुकी है, जिसका थाना हाजा पर मुकदमा अपराध सं0 228/ 18 धारा 279,304ए,427 आई0पी0सी0 थाना शेरकोट पर ही पंजीकृत है, जिसकी एफ0आई0आर0 की एक प्रति तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शेरकोट ने वारण्ट के साथ संलग्न की थी। पत्रावली पर मौजूद वारण्ट कागज सं0 ख–151/1 व चिक एफ0आई0आर0 व मु0अप0सं0 228/18 थाना शेरकोट कागज सं0 151/2 मेरे द्वारा वारण्ट तामीला के साथ संलग्न की गयी थी। वारण्ट तामीला पर मेरे दिनॉकित 09–01–2019 के हस्ताक्षर मौजूद है जो थानाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित व अग्रसारित है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिशीलन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त भीम सिंह पुत्र नेकचन्द्र निवासी ग्राम नूरपुर छिपरी थाना शेरकोट जिला बिजनौर की मृत्यु हो चुकी है। तद्नुसार अभियुक्त भीम के विरूद्ध प्रस्तुत सत्रवाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अभियोजन साक्ष्य हेतु विचाराधीन चल रही है। अतः पत्रावली दिनांक 22–06–2022 अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो। साक्षीगण तलब किये जाये।

अपर सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिजनौर। कोर्ट नं01

Digitally signed by DR MANU KALIA
Date: 2022.06.03 10:26:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court